दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–छतरपुर

206
R 841-II/13

प्यारे लाल पुत्र श्री गोरे लाल
निवासा– ग्राम गडरियन पुरवा तहसील चन्दला जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– रामेश्वर पुत्र शम्भू पाल
2– जोधा पाल पुत्र शम्भू पाल
निवासी गण – गडरियन पुरवा तहसील चन्दला जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार चन्दला जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 16/अ–3/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2010 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यह कि अनावेदकगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार चन्दला के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि आराजी नम्बर 314/1/1,314/2 रकवा कमशः 0.081, 0.226 हैक्टयर स्थित मौजा दुमखेडा का तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें आवेदक को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई है।

2– यह कि तहसीलदार चन्दला द्वारा प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पटवारी हल्का से तरमीम हेतु प्रस्ताव बुलाया गया और पटवारी हल्का द्वारा दिय गये तरमीम प्रस्ताव को आधार वनाकर तरमीम की कार्यवाही मूल नक्शे में लाल स्याही से किये जाने के आदेश दिनांक 17.02.2010 को दिये गयें। उक्त आदेश से व्यर्थित होकर आवेदक द्वारा उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर यह पुनरीक्षण न्यायदान हेतु प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण के आधार :

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि उक्त प्रकरण में आवेदक को पक्षकार नही बनाया गया है जवकि वह प्रकरण में आवश्यक एवं हितवद्ध पक्षकार था क्योकि उसकी भूमि उक्त तरमीम कार्यवाही से प्रभावित हो रही थी। ऐसी स्थिति में वह प्रकरण में आवश्यक एवं हितवद्ध पक्षकार था जिसे पक्षकार वनाये विना जो कार्यवाही अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में की गई है वह विधिवत् नही होने से प्रथम दृष्टि में अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-841-दो/2013 जिला छतरपुर प्यारेलाल विरूद्ध रामेश्वर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार चंदला जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 16/अ-3/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 17-06-2010 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-02-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 18.1.19 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 18-1-19 सदस्य	